

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

1. बिहार सरकार ने राज्य में निवेश को प्रोत्साहित एवं विकसित करने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 19, 2016) को अधिनियमित किया है जिसे उद्योग विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-4192, दिनांक-06.09.2016 द्वारा लागू किया गया है। यद्यपि एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली (Single Window Clearance System) के डिजिटलीकरण द्वारा इसकी फ्रंट-इंड प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक ऑनलाइन माध्यम में परिवर्तित किया गया है, तथापि इसकी बैक-इंड प्रक्रियाएँ अभी भी विभिन्न विभागों में पृथक-पृथक रूप से संचालित हो रही हैं। यह क्रमिक एवं बहु-एजेंसी विनियामक व्यवस्था प्रशासनिक जटिलताओं को बढ़ाती है, लेन-देन लागत में वृद्धि करती है तथा परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है।

2. अतः बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा-10 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) सचिवालय को समस्त स्थापना पूर्व, निर्माण, उपलब्धता एवं परिचालन के चरण के अनुमोदन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करने के लिये निम्न प्रावधानों को लागू किया जाता है:-

(क) सचिवालय, राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को एकल नोडल एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करना।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 10 के अंतर्गत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है। इस क्षमता से, राज्य के उद्योगों के लिए सभी आवश्यक क्लियरेंस निर्गत करने की निर्णायक शक्ति सचिवालय में निहित होगी।

(ख) राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) सचिवालय के अधीन प्रतिनियुक्ति।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 06 (2)('क' से 'ज') के अंतर्गत उल्लेखित अधिकारी प्रतिनियुक्त होकर क्लियरेंस

निर्गत करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 6(1) में परिभाषित औद्योगिक विकास आयुक्त के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण, अनुशासनिक अधीनता एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करेंगे। इस प्रतिनियुक्ति का उद्देश्य त्वरित क्लियरेंस की सुविधा के लिये सम्मिलित रूप से सभी संबंधित विभागों को एक ही प्रशासनिक कमान के अन्तर्गत रखा जाना है।

(ग) राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) सचिवालय में अधिकारियों को शामिल करने हेतु प्राधिकार का प्रत्यायोजन:-

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा-10 में निहित शक्ति के अन्तर्गत क्लियरेंस जारी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास आयुक्त को आवश्यकता अनुसार विभागों एवं वैधानिक निकायों के सक्षम नोडल अधिकारियों को शामिल करने के संबंध में प्रतिनियुक्तियों के औपचारिक आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। इस प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग संबंधित विभाग या इकाई के साथ परामर्श के उपरान्त शुरू किया जायेगा और यह राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के अंतिम अनुमोदन के अधीन होगी।

(घ) मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का निर्धारण

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को इसके द्वारा इन केन्द्रीकृत ढांचे के तहत प्रक्रियात्मक कार्यप्रवाहों के लिए व्यापक मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करने और अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

3. इस पर दिनांक-08-06-2026 की मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या-24 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

५७/०५/०६/२६

(पवन किशोर)

अवर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- SIPB/1703 /पटना, दिनांक:- 9/6/2026

सं0सं0-04/तक0/नीति संशोधन/07/2020

प्रतिलिपि:-मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प २२
09/06/26
अवर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- SIPB/1703 /पटना, दिनांक:- 9/6/2026

सं0सं0-04/तक0/नीति संशोधन/07/2020

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प २२
09/06/26
अवर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- SIPB/1703 /पटना, दिनांक:- 09/06/2026

सं0सं0-04/तक0/नीति संशोधन/07/2020

प्रतिलिपि:-सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बियाडा/उद्योग निदेशक/निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पटना, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प २२
09/06/26
अवर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- SIPB/1703..... /पटना, दिनांक:- 09/06/2026

सं0सं0-04 /तक० / नीति संशोधन / 07 / 2020

प्रतिलिपि :-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५९/०६/२६

अवर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

५९

ज्ञापांक:- SIPB/1703..... /पटना, दिनांक:- 09/06/2026

सं0सं0-04 /तक० / नीति संशोधन / 07 / 2020

प्रतिलिपि :-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

५९/०६/२६

अवर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

५९

ज्ञापांक:- SIPB/1703..... /पटना, दिनांक:- 09/06/2026

सं0सं0-04 /तक० / नीति संशोधन / 07 / 2020

प्रतिलिपि:- आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

५९/०६/२६

अवर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

५९

**GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF INDUSTRIES**

NOTIFICATION

The state Government enacted the **Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016 (Act 19 of 2016)**, enforced vide notification no: 4192 dt. 06.09.2016, Department of Industries, Government of Bihar, to facilitate the promotion and development of investment within the State of Bihar. The primary mandate of the Act is to simplify administrative procedures for the establishment and operation of industries, thereby establishing the State as a premier destination for domestic and international investment. While the implementation of the digital framework has successfully transitioned the front-end of the single-window clearance system to an online interface, the underlying backend processing remains fragmented across individual line departments. This sequential, multi-agency regulatory structure inherently introduces administrative complexity, increases transaction costs, and impedes the timely implementation of projects.

2. Hence, for the authorization of the Secretariat of the State Investment Promotion Board (SIPB) as the Single Nodal Agency for all pre-establishment, construction, connection, and operation stage approvals under Section 10 of the Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016, the following propositions has been approved:

A: Authorization of the Secretariat of the SIPB as the Single Nodal Agency

Under Section 10 of the Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016. This notification shall authorize the Secretariat of the State Investment Promotion Board (SIPB) to function as the Single Nodal Agency. In this capacity, the Secretariat shall be vested with the definitive power to grant and issue all required clearances mandated for industries in the State of Bihar.

B. Deputation under the Secretariat of the State Investment Promotion Board (SIPB)

The officers, as mentioned in Section 6 (2) (a to h) of the BIIP Act, 2016, are hereby deputed to function under the direct administrative command, disciplinary control, and supervision of the Industrial Development Commissioner (IDC), as defined under Section 6(1) of the BIIP Act, 2016, for the issuance of clearances. This deputation is aimed at achieving convergence of all concerned departments within a single administrative command to facilitate expedited clearances.

C: Delegation of Authority for including Officers in the SIPB:

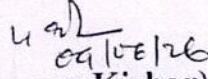
Drawing powers from Section 10 of the Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016, the Industrial Development Commissioner (IDC) is hereby authorised by the State Government to issue formal orders regarding deputation to include competent nodal officers of the State Departments and statutory bodies as per requirement in the Secretariat for issuance of clearances. The exercise of this administrative power shall be initiated upon consultation with the concerned department or entity, and any such structural modification or requisition of personnel shall be subject to the final approval of the State Investment Promotion Board (SIPB).

D. Determination of Standard Operating Procedures

The State Investment Promotion Board is hereby authorized to formulate and notify comprehensive Standard Operating Procedures for procedural workflows under this centralized framework.

3. This has the approval of the Cabinet, Government of Bihar, dt. 8th June 2026 as item no: 24

By order of Governor of Bihar


(Pawan Kishor)

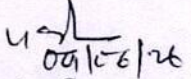
Under Secretary,
Department of Industries,
Bihar, Patna

Dated- 09/06/2026

Memo No- **SIPB/1703** /Patna,

File No- 04/Tech./Niti- Sansodhan/07/2020

Copy to: The Principal Secretary to Chief Minister, Bihar/P.S. to Minister, Department of Industries/O.S.D to Chief Secretary, Bihar, Patna/Principal P.S. to the Development Commissioner, Bihar, Patna for information.

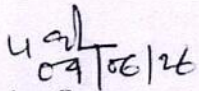

Under Secretary,
Department of Industries,
Bihar, Patna

Memo No- **SIPB/1703** /Patna,

File No- 04/Tech./Niti- Sansodhan/07/2020

Copy to: The Accountant General (A&E), Bihar, Patna/ Treasury Officer, Secretariat Treasury, Vikas Bhawan, Patna for information.

Dated- 09/06/2026


Under Secretary,
Department of Industries,
Bihar, Patna

Memo No- **SIPB/1703** /Patna,
File No- 04/Tech./Niti- Sansodhan/07/2020

Dated- **09/06/2026**

Copy to: All Add. Chief Secretary/All Principal Secretary/All Secretary /All Heads of Departments, Bihar / M. D., BIADA/ Director of Industries, Bihar, Patna/ Director, MSME, Bihar, Patna/ Director, Food Processing/ Director, Handloom & Sericulture/ Director, MSMEDI, Patna, Muzaffarpur for information and necessary action.

42/09/06/26

Under Secretary,
Department of Industries.
Bihar, Patna

Memo No- **SIPB/1703** /Patna,
File No- 04/Tech./Niti- Sansodhan/07/2020

Dated- **09/06/2026**

Copy to: All Divisional Commissioners, Bihar/ Resident Commissioner, Bihar Bhawan, New Delhi/ All District officers, Bihar/All General Managers, District Industries Centres, Bihar for information and necessary action.

42/09/06/26

Under Secretary,
Department of Industries.
Bihar, Patna

Memo No- **SIPB/1703** /Patna,
File No- 04/Tech./Niti- Sansodhan/07/2020

Dated- **09/06/2026**

Copy to: The Officer-In-Charge, E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna with a Soft Copy (CD) and 02 Hard Copy to publish in the special edition of Bihar Gazette.

42/09/06/26

Under Secretary,
Department of Industries.
Bihar, Patna

Memo No- **SIPB/1703** /Patna,

Dated- **09/06/2026**

Memo No-04/Tech./Niti- Sansodhan/07/2020

Copy to: IT Manager, Department of Industries, Bihar, Patna for uploading the copy of the resolution on the Departmental Website.

42/09/06/26

Under Secretary,
Department of Industries.
Bihar, Patna